Vacancy Ref. No. BIRAC/PMU/VAC/169/June-2026

पद : वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी **पोस्ट कोड : MII-SPO-01**

कुल पद : 2 (दो)

अवधि : मेक इन इंडिया के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सुविधा प्रकोष्ठ कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा बाइरैक में की गई है। यह पद पूर्णतः अस्थायी (अनुबंध आधारित) है और परियोजना की समाप्ति के साथ समाप्त किया जा सकता है। परियोजना की वर्तमान अवधि सितंबर 2026 तक है।

समेकित पारिश्रमिक : योग्यता और अनुभव के आधार पर प्रति माह एकमुश्त राशि 75,000/- **रु. से** 2,40,000/- **रु. के बीच निश्चित की जाएगी।**

कार्य विवरण : वर्तमान में चल रहे परियोजना पोर्टफोलियो, अनुदान तंत्र और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का प्रबंधन और निगरानी करना।

रिपोर्टिंग : चयनित व्यक्ति मिशन निदेशक -एमआईआई को रिपोर्ट करेंगे।

मुख्य उत्तरदायित्व :

- रणनीति बैठकों, विजन दस्तावेजों, हितधारक संवाद के संगठन, समन्वय और दस्तावेज़ीकरण के लिए उत्तरदायी।
- जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर लागू विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना।
- उपयुक्त संसाधनों, संभावित भागीदारों और हितधारकों की पहचान करना; और विशेषज्ञ और मेंटर पूल का विस्तार करना।
- मेक इन इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया कार्य योजनाओं की गतिविधियों पर नियमित अद्यतन प्रदान करना।
- संक्षिप्त, सुव्यवस्थित रूप से लिखित विश्लेषणात्मक व्यावसायिक और तकनीकी दस्तावेज तैयार करना।
- उद्योग, राज्यों, निवेशकों और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी का प्रबंधन और विस्तार करना।
- राज्य सम्मेल न, वेबि नार , हितधारकों की बैठक, निवे शक परा मर्श और अन्य आउटरीच गतिविधियों के आयोजन में नेतृत्व करें।
- निर्बाध सहयोग के माध्यम से टीम के उद्देश्यों और लक्ष्यों में योगदान करना।
- मेक इन इंडिया के जनादेश के अनुरूप अ न्य असाइ नमेंट में योगदान देना।
- आवश्यकतानुसार घरेलू यात्रा करना।

अनिवार्य योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइफ साइंसेज/फार्मा/बायोमेडिकल साइंसेज/पब्लिक पॉलिसी/पब्लिक हेल्थ में स्नातकोत्तर।

वांछनीय योग्यता : जीवन विज्ञान/अन्य संबद्ध विज्ञान क्षेत्र में पीएचडी।

अनुभव : पोस्ट क्वालिफिकेशन, किसी भी प्रतिष्ठित जीवन विज्ञान उद्योग/सरकारी एजेंसी/केपीओ/सीडीएमओ/स्टार्टअप/सार्वजनिक नीति प्रशासन में न्यूनतम 4 वर्ष का कार्य अनुभव।

अधिकतम आयु : रिक्ति की अंतिम तिथि तक अधिकतम 35 वर्ष।